न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 66/2018

उनवान

रामस्वरूप उर्फ हरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवंशी जाति रावत निवासी ग्राम भटियानी नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 तोफी पत्नी रामचन्द्र,
2.मधू पत्नी सूरजमल,
3.राजू पूत्र सूरजमल,
4.गणेश ना.बा.,
5.कालू ना.बा. पि. सूरजमल जरियें माता मधु जाति मेघवंशी नि. ग्राम भटियानी, नसीराबाद,
6.राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 6/5/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी में वादी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
897/860	2679	0.15
	2680	0.15
	2747	0.41
	2782/4396	0.09
898/860	2679/4421	0.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:21:56 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार रा[illegible] की मृत्यु [illegible] जिसके वारिस वादी व प्रतिवादीगण ही है। राजस्व अभिलेख [illegible] प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। वादी का नाम रामस्वरूप उर्फ हरलाल है जिसके समर्थन में

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड पेश है। जबकि राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से रामस्वरूप गलत अंकित कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा में वादी का सही व वास्तविक नाम रामस्वरूप उर्फ हरलाल किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सुरजमल, रामस्वरूप पि0 रामचन्द्र व तोफी पत्नी रामचन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 1203 दिनांक 20.4.18 जरियें परित्याग द्वारा सम्पूर्ण आराजी वादी के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी मुतनाजा (खसरा नमबर 2679/4421 के अतिरिक्त) वादी की एकल खातेदारी की है। वादी का कथन है कि अन्य दस्तावेज में उसका नाम हरलाल है जबकि राजस्व अभिलेख में त्रूटिपूर्ण तरीके से रामस्वरूप अंकित कर दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत भटियानी का शजरा प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामस्वरूप उर्फ हरलाल अंकित है। साथ ही मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड में वादी का नाम हरलाल पुत्र भागचन्द अंकित है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने वाद को कोई खण्डन नही किया है। उक्त आराजी पर विरासत के समय से ही वादी का नाम रामस्वरूप अंकित किया गया है। ग्रामीण परिवेश में एक ही व्यकित को दो नाम से पुकारा व जाना जाता है। वादी का नाम रामस्वरूप उर्फ हरलाल अंकित करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अतः वादी उक्तानुसार नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.15, 2680 रकबा 0.15, 2747 रकबा 0.41, 2782/4396 रकबा 0.09 व 2679/4421 रकबा 0.75 की आराजी पर वादी का **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर रामस्वरूप उर्फ हरलाल पुत्र रामचन्द्र करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:21:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामस्वरूप उर्फ हरलाल बनाम तोफी वगै0

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 66/2018
पेश करने की दिनांक – 02.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.15, 2680 रकबा 0.15, 2747 रकबा 0.41, 2782/4396 रकबा 0.09 व 2679/4421 रकबा 0.75 की आराजी पर वादी का **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर रामस्वरूप उर्फ हरलाल पुत्र रामचन्द्र करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 05 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:21:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद